शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 10 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 02 – 09 मार्च 2026 मूल्य पांच रूपये

विमल नेगी मौत प्रकरण में पूर्व एसपी संजीव गांधी को सीबीआई का समन

शिमला/शैल। पावर कॉरपोरेशन के पूर्व चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमय मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई ने शिमला के पूर्व एसपी संजीव गांधी को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। उन्हें छः मार्च को दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई कार्यालय में उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया था। जानकारी के अनुसार यह समन दो मार्च को भेजा गया था।

मामले की जांच कर रहे सीबीआई के डीएसपी ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 179 के तहत यह समन जारी किया। समन में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि संजीव गांधी इस मामले की परिस्थितियों से भली – भांति परिचित हैं, इसलिए जांच के दौरान उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिए जाने आवश्यक हैं।

सीबीआई ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108, 3(5) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित मामला दर्ज कर रखा है। हालांकि अब तक इस मामले में जांच एजेंसी की ओर से कोई बड़ा खुलासा सामने नहीं आया है, जिससे मामले की जांच को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं।

इस प्रकरण में पावर कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक (इलेक्ट्रिकल) देशराज को आरोपी बनाया गया है। उनकी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत में सीबीआई अधिकारियों को कड़ी फटकार का सामना भी करना पड़ा था। अदालत ने जांच की धीमी प्रगति और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने पर नाराजगी जताई थी।

गौरतलब है कि 10 मार्च 2025 को विमल नेगी शिमला से बिलासपुर के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद वह अचानक लापता हो गए थे। कई दिनों तक उनकी तलाश जारी रही और अंततः 18 मार्च को उनका शव बिलासपुर जिले के शाहतलाई क्षेत्र में एक दरिया से बरामद हुआ था। इस घटना ने प्रदेश भर में सनसनी फैला दी थी। मृतक के परिजनों ने शुरुआत से ही इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला बताया था और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

शुरुआत में इस मामले की जांच शिमला पुलिस ने की थी। उस समय के एसएसपी संजीव गांधी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन मामले में स्पष्ट निष्कर्ष सामने नहीं आ पाया।

मामले ने बाद में राजनीतिक रूप ले लिया था। विपक्षी दलों, विशेषकर भाजपा ने इस मुद्दे को जोर – शोर से उठाया और सरकार पर मामले की निष्पक्ष जांच कराने का दबाव बनाया। वहीं मृतक के परिजनों ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ओंकार शर्मा और तत्कालीन डीजीपी अतुल वर्मा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों ने पावर कॉरपोरेशन से जुड़े कई पहलुओं को उजागर किया था। इन रिपोर्टों के सामने आने के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया था।

विशेष रूप से डीजीपी अतुल वर्मा की रिपोर्ट में पुलिस जांच की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए थे, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को सीबीआई के सुपुर्द करने के आदेश जारी कर दिए थे।

सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद कई अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की है। इस मामले में पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक हरीकेश मीना का नाम भी चर्चा में रहा है, जो वर्तमान में खेल विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

फिलहाल सीबीआई की जांच जारी है और एजेंसी मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं पूर्व एसपी संजीव गांधी को समन जारी होने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जांच के अगले चरण में सीबीआई किन निष्कर्षों तक पहुंचती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

(Under Section 179 BNSS)

To

Shri Sanjeev Kumar Gandhi,
Deputy Inspector General of Police
Government of Himachal Pradesh
Shimla, Himachal Pradesh

R/o at Flag House, Near Rajbhawan
Chhota Shimla
Distt.- Shimla

Whereas it appears that you are acquainted with the circumstances of the case noted below, which I am investigating under Chapter XIII of the BNSS, you are hereby required to attend before me on the 06.03.2026 at (time) 11:00 hrs at (place) CBI, SC-1, 5B, 2nd FLOOR, B-WING, CGO COMPLEX, LODHI ROAD, NEW DELHI for the purpose of answering certain questions relating to the case.

Particulars of the Case: RC0482025S0003, CBI, SC-1, New Delhi U/s 108, 3(5) BNS.

Signature of I.O. :
Name of I.O. : Brijendra Prasad Singh

राहुल गांधी का राज्यसभा के लिए कांग्रेस के आम कार्यकर्ता पर भरोसा

शिमला/शैल। कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यालय राजीव भवन, शिमला में कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस संगठन से निकले एक सामान्य कार्यकर्ता का राज्यसभा सांसद बनना पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व और खुशी का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश से चार जिला अध्यक्षों के नाम मांगे थे, जिनमें से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अनुराग शर्मा का चयन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा चुनाव को लेकर कई तरह की बातें की जा रही थीं, लेकिन कांग्रेस में किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है और यही कारण है कि अनुराग शर्मा निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुए।

सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा एक आम कार्यकर्ता को राज्यसभा का टिकट देना इस बात का संकेत है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं, एनएसयूआई और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। प्रदेश में सीबीएसई आधारित 150 स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें पिछड़े क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी डे – बोर्डिंग स्कूल भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में आधुनिक तकनीक और हाई – एंड मशीनें स्थापित की जा रही हैं, ताकि लोगों को राज्य के भीतर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें।

उप – मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अब अनुराग शर्मा के सामने दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के हितों की आवाज उठाने की जिम्मेदारी है।

नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे वे पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करेंगे और हिमाचल प्रदेश के विकास तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम करेंगे।

इस अवसर पर विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री और अनुराग शर्मा को सम्मानित किया। समारोह में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा, विधायक, पूर्व विधायक, विभिन्न बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राज्य सरकार ने राज्यपाल के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया

शिमला/शैल। शिमला स्थित पीटरहॉफ में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया।

इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर को पारंपरिक हिमाचली टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि देवभूमि हिमाचल को छोड़कर नई जिम्मेदारी संभालने जाना उनके लिए भावनात्मक क्षण है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान पर कार्य करने के बाद वहां से जुड़ाव होना स्वाभाविक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ उनका अनुभव विशेष रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि 'प्रेम भूमि' भी है, जहां के लोग सरल, ईमानदार और स्नेह से भरपूर हैं।

राज्यपाल ने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों, अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है और राज्य का शांत वातावरण, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं तथा सामाजिक सद्भाव प्रगति के लिए प्रेरणा देते हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की उल्लेखनीय प्रगति की भी सराहना की और नशा उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह क्षण भावनाओं से भरा हुआ है क्योंकि राज्य एक गरिमामय और प्रेरणादायक व्यक्तित्व को विदाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के रूप में शिव प्रताप शुक्ल ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन गरिमा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ किया तथा अपने आचरण और निर्णयों से संवैधानिक पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के नेतृत्व में लोक भवन जन सरोकारों से जुड़ा एक संवेदनशील केंद्र बना और उन्होंने छात्रों, युवाओं, सामाजिक संगठनों तथा आम नागरिकों से निरंतर संवाद बनाए रखा। उन्होंने कहा कि अब वे तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं और विश्वास है कि वे उसी अनुभव और संवेदनशील नेतृत्व के साथ सेवा करते रहेंगे।

इससे पहले मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यपाल के योगदान को याद किया।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, मंत्रिमंडल के सदस्य, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को दी भावनात्मक विदाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने लोक भवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल

को भावनात्मक विदाई दी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

समारोह में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

इस दौरान राज्यपाल को प्रदेश के प्रति उनकी सेवाओं के सम्मान स्वरूप औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने शिव प्रताप शुक्ल को उनके भावी दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दीं तथा प्रदेश के विकास में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

30वें राज्यपाल के रूप में 10 मार्च को शपथ लेंगे कविन्द्र गुप्ता

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (नामित) कविन्द्र गुप्ता सोमवार सायंकाल शिमला पहुंचे, जहां

लोक भवन में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी बिंदु गुप्ता भी मौजूद रहीं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने उन्हें हिमाचली टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, विधायकगण, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मीडिया से बातचीत में कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि वे समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर हिमाचल प्रदेश के कल्याण और विकास के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने इसे बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए पूरी निष्ठा के साथ दायित्व निभाने का भरोसा जताया।

कविन्द्र गुप्ता 10 मार्च को प्रात: 11:45 बजे हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे।

सड़क सुरक्षा पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। परिवहन विभाग की लीड एजेंसी रोड सेफ्टी सेल द्वारा आईआईटी मद्रास के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी के सहयोग से डॉ.मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक परिवहन नीरज कुमार ने की।

इस अवसर पर निदेशक परिवहन नीरज कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा को केवल नियमों के पालन तक सीमित न रखकर इसके प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा फरवरी 2026 में ऑनलाइन माध्यम से 'सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव' का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा विषय पर लघु फिल्में बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान महोत्सव में चयनित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 24 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

कार्यशाला के दौरान आईआईटी

मद्रास की टीम ने सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं, पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों में सुरक्षा के लिए रणनीतियों तथा सुरक्षित सड़कों के लिए नवाचारों और फ्रेमवर्क पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। साथ ही हिमाचल प्रदेश के लिए सड़क सुरक्षा के ड्राफ्ट विजन पर भी चर्चा की गई।

इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त परिवहन लीड एजेंसी रोड सेफ्टी एस.डी. नेगी, सीओईआरएस आईआईटी मद्रास के प्रमुख प्रो. वेंकटेश बालासुब्रमणियम, आईआईटी मद्रास के प्रतिनिधि, परिवहन विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

अगले सत्र से एनईपी के अनुरूप शुरू होंगे स्नातक कोर्स :रोहित ठाकुर

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के कार्यान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स

की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि वर्ष 2026-27 से हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में एनईपी-2020 के अनुरूप स्नातक पाठयक्रम शुरू किए जाएं।

उन्होंने कहा कि नए ढांचे के तहत तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, चार वर्षीय ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च कार्यक्रम और पांच वर्षीय एकीकृत स्नातक-स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। चार वर्षीय कार्यक्रम अधिक छात्र संख्या वाले कॉलेजों में लागू किया जाएगा।

रोहित ठाकुर ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को तकनीकी मूल्यांकन, स्पॉट मूल्यांकन और मजबूत आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए, ताकि परीक्षा परिणाम 30 दिनों के भीतर घोषित किए जा सकें।

उन्होंने कहा कि छात्रों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के लिए कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप आधारित पाठयक्रम भी शामिल किए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए 389 शिक्षकों के पद जल्द भरे जाएंगे और इसके लिए प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। साथ ही कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए आंतरिक रैंकिंग प्रणाली शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने अधिकारियों को 75 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों का युक्तिकरण करने को भी कहा, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत के. शर्मा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. महावीर सिंह और सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ललित कुमार अवस्थी सहित शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञ और अधिकारी उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्य अनुसूचित जाति आयोग की मुख्यमंत्री से भेंट

शिमला/शैल। शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने आयोग के सदस्यों अधिवक्ता विजय डोगरा और अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह

सुक्खू) से उनके सरकारी आवास ओकओवर में शिष्टाचार भेंट की।

भेंट के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों और आयोग की गतिविधियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की लगभग 26 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है, इसलिए उनके सामाजिक - आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

इस अवसर पर कुलदीप कुमार धीमान ने बताया कि ऊना जिले के रामपुर में आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 10 कनाल भूमि उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने आगामी वित्त वर्ष में भवन निर्माण के लिए बजट प्रावधान करने का आग्रह भी किया।

उन्होंने मुख्यमंत्री को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा के राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचन पर बधाई भी दी।

नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक में

अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया। इस आधुनिक तकनीक की स्थापना पर लगभग 28.44 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल में की जा रही पहली रोबोटिक सर्जरी की प्रक्रिया का भी अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले अटल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, चमियाणा और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में भी रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इंदिरा गांधी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग विभाग स्थापित करने और सभी विभागों में पीजी कोर्स शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में प्रोफेसर की कमी है, वहां पीजी कोर्स आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही सीनियर रेजिडेंट के पदों में भी वृद्धि की जाएगी।

उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजी सहित सभी विभागों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त ट्रॉमा सेंटर को भी मजबूत किया जाएगा। अस्पताल में थ्री-टेस्ला एमआरआई, लिनाक (LINAC) मशीन और पैट स्कैन मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे मरीजों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 40 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है, जबकि सुपर स्पेशलिस्ट सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये किया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और स्टाफ से संवाद भी किया तथा स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

मंडी दौरे पर मुख्यमंत्री ने 60 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाएं जनता को समर्पित कीं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के दौरे के दौरान बल्ह के दियाड़गी में

लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 14 विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के तहत 25.99 करोड़ रुपये की लागत से शिमला-मंडी सड़क वाया तत्तापानी (चैल चौक से बगगी) के उन्नयन कार्य का उद्घाटन किया। इसके अलावा 6.96 करोड़ रुपये की लागत से नेहरा से फगोह वाया कुथल, बगला, लोअर नातन मार्ग तथा कांशा खड्ड पर मोटरेबल पुल सहित सड़क का भी उद्घाटन किया।

उन्होंने 2.75 करोड़ रुपये की लागत से धनोटू में निर्मित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, तहसील बल्ह के चम्यार में 12 लाख रुपये की लागत से बने पटवार भवन, ग्राम पंचायत कोटली में 14 लाख रुपये की लागत से स्थापित 'अपना पुस्तकालय' तथा जाछ (झुंगी) में 55 लाख रुपये की लागत से बने लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय एवं आवास भवन का भी लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने निचली बेहली में 37 लाख रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक केंद्र तथा जाच और फंगवास में 38-38 लाख रुपये की लागत से बने सामुदायिक केंद्रों का उद्घाटन भी किया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत पंडोह में 8 लाख रुपये की लागत से निर्मित पुस्तकालय को भी जनता को समर्पित किया गया।

जलापूर्ति योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री ने 3.08 करोड़ रुपये की लागत से तहसील सुंदरनगर की चौक, महादेव, अपर बेहली, चंबी, पलोहोटा, जय देवी तथा बलाना ग्राम पंचायतों के लिए उठाऊ जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 3.14 करोड़ रुपये की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत तहसील बल्ह की ग्राम पंचायत धाबन और लोहारा तथा टांडा की बस्तियों के लिए उठाऊ जलापूर्ति योजना और 11.57 करोड़ रुपये की लागत से तहसील चच्योट की ग्राम पंचायत सैंज और नंदी के विभिन्न गांवों के लिए उठाऊ जलापूर्ति योजना भी जनता को समर्पित की गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 3.67 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली गडोग नाला से बरनोग सड़क का शिलान्यास भी किया।

70 हजार करोड़ रुपये मिलते तो हिमाचल कर्ज मुक्त होता: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के

नाचन विधानसभा क्षेत्र के दियारगी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि पिछली सरकार को मिले 70 हजार करोड़ रुपये वर्तमान सरकार को मिलते, तो आज हिमाचल प्रदेश कर्ज मुक्त होता। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को पांच वर्षों में 54 हजार करोड़ रुपये राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) और 16 हजार करोड़ रुपये जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में मिले, लेकिन वित्तीय अनुशासन न रखने से प्रदेश पर कर्ज बढ़ गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल को मिलने वाला लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का आरडीजी बंद कर दिया है, जबकि वर्तमान सरकार को अब तक 17 हजार करोड़ रुपये आरडीजी मिला है। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता और 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के एरियर का भुगतान किया है।

उन्होंने नाचन क्षेत्र के छातर में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। इसके अलावा क्षेत्र के महिला मंडलों को 51-51 हजार रुपये देने तथा स्थानीय मांगों को पूरा करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी।

आपदा पूर्व तैयारी सुदृढ़ करने में जुटी प्रदेश सरकार:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम लचीलापन हिमालय का भविष्य, हिमाचल प्रदेश के लिए सबक, चुनौतियां और नीतिगत मार्ग विषय पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) शिमला में संपन्न हुई। कार्यशाला में राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह कार्यशाला हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित की गई।

राजस्व मंत्री ने हिमालयी राज्यों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका असर विशेष रूप से कृषि, बागवानी, आधारभूत संरचना और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ते जोखिम से निपटने के लिए आपदा पूर्व तैयारी को सुदृढ़ करने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार करने तथा लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि बदलते जलवायु परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाकर दीर्घकालिक रणनीति के तहत कार्य कर रही है, ताकि आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और प्रदेश की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाया जा सके।

विशेष सचिव (राजस्व) डी.सी. राणा ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए

संस्थागत तैयारी को मजबूत करने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा जोखिम आकलन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा हिमालयी क्षेत्रों में लचीले बुनियादी ढांचे से जुड़े विषयों पर विभिन्न विषयगत सत्र आयोजित किए गए।

इन सत्रों में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लेते हुए हिमालयी क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु लचीलापन, खतरा निगरानी तथा बुनियादी ढांचा सुरक्षा से संबंधित विषयों पर अपने विचार और प्रस्तुतियां साझा कीं।

कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश में हाल के वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर वर्ष 2023 और 2025 की घटनाओं से मिले अनुभवों पर भी चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के निष्कर्षों के आधार पर समेकित जोखिम आकलन, लचीले पुनर्निर्माण और बेहतर तैयारी के महत्व को रेखांकित किया।

समापन सत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के.के. पंत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों में जलवायु और आपदा लचीलापन विकसित करने के लिए वैज्ञानिक योजना, संस्थागत समन्वय और सामुदायिक भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

इस कार्यशाला में हिप्पा की निदेशक रूपाली ठाकुर, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं तथा विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

एनसीवीईटी से डयूल स्टेटस प्राप्त करने वाला देश का दूसरा राज्य बना हिमाचल:शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप बोर्ड को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) से डयूल कैटेगरी मान्यता प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि के साथ हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है, जिसे अवॉर्डिंग बॉडी और असेसमेंट एजेंसी दोनों के रूप में मान्यता मिली है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मान्यता के साथ अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत व्यावसायिक पाठयक्रमों का निर्माण, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन स्वयं कर सकेगा।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होगी, जिससे छात्रों को देश और विदेश में रोजगार तथा उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा के बीच की दूरी को समाप्त करने पर बल दिया गया है।

रोहित ठाकुर ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत पहला प्रमुख कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार स्कूलों में बागवानी विषय में व्यावसायिक पाठयक्रम शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 'फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया' के रूप में जाना जाता है और यह पाठयक्रम राज्य की कृषि और बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि इस पाठयक्रम के माध्यम से छात्रों को बागवानी प्रबंधन, पोस्ट-हार्वेस्ट तकनीक और जैविक खेती से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे राज्य के सेब और अन्य फल उत्पादन से जुड़े उद्योगों को कुशल युवा कार्यबल मिलेगा और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड मेजर विशाल ने बताया कि यह कार्यक्रम एनएसक्यूएफ के स्तर 1 से 4 के अनुरूप संचालित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि विद्यालयों में सिखाए जाने वाले कौशल आधुनिक उद्योग और कृषि क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप हों। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं में उद्यमिता की भावना को भी प्रोत्साहित करेगी और वे उन्नत तकनीकों तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर बागवानी क्षेत्र का आधुनिकीकरण कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इन पाठयक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बोर्ड द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार की जा रही हैं साथ ही सरकारी स्कूलों में आधुनिक कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना भी है, ताकि छात्रों को बेहतर व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सके। उन्होंने कहा कि बोर्ड इस नई व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिससे स्कूल स्तर पर कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों के लिए भविष्य में नए अवसर खुलेंगे।

आप तब तक नहीं जान पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें खो नहीं देते ।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

पश्चिम एशिया का तनाव और भारत की चिंता

पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। हाल के दिनों में ईरान और खाड़ी क्षेत्र में जिस तरह से सैन्य टकराव और तनाव बढ़ा है, उसने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि यह घटनाक्रम रमजान के पवित्र महीने के दौरान सामने आया है। ऐसे समय में बढ़ती हिंसा और संघर्ष यह संकेत देते हैं कि हालात गंभीर होते जा रहे हैं।

पश्चिम एशिया का महत्व केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कई देशों की तेल और गैस की जरूरतें इसी क्षेत्र से पूरी होती हैं। इसके अलावा वैश्विक समुद्री व्यापार के कई महत्वपूर्ण मार्ग भी यहीं से गुजरते हैं। इसलिये जब भी इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है, उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ता है।

भारत के लिये यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। खाड़ी देशों में लगभग एक करोड़ भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। ये लोग अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हुए अपने परिवारों का सहारा बनते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। इसलिये इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता भारत के लिए चिंता का कारण बनती है। सबसे बड़ी चिंता वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर होती है।

भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा भी इसी क्षेत्र से आता है। भारत अपनी तेल और गैस की बड़ी मात्रा खाड़ी देशों से आयात करता है। यदि वहां संघर्ष बढ़ता है या आपूर्ति बाधित होती है, तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसके अलावा समुद्री व्यापार मार्गो की सुरक्षा भी बेहद महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में व्यापारी जहाजों पर हुए हमलों की खबरों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।

ऐसी परिस्थितियों में भारत ने संयम और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है। भारत की विदेश नीति हमेशा से शांति और बातचीत के सिद्धांतों पर आधारित रही है। भारत का मानना है कि किसी भी विवाद का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि संवाद और समझदारी से निकाला जा सकता है। इसलिये भारत लगातार सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने की अपील कर रहा है।

भारत की एक और प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संबंधित देशों में स्थित भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं और उन्हें आवश्यक सलाह और सहायता प्रदान कर रहे हैं। यदि स्थिति और गंभीर होती है तो सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने में भी सक्षम है।

आज की दुनिया पहले की तुलना में कहीं अधिक आपस में जुड़ी हुई है। किसी एक क्षेत्र में पैदा हुआ संकट जल्दी ही वैश्विक समस्या बन सकता है। इसलिए पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता केवल उस क्षेत्र के देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। संघर्ष को बढ़ने से रोकने और शांति स्थापित करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को मजबूत करना जरूरी है। युद्ध और हिंसा से केवल नुकसान ही होता है, जबकि संवाद और सहयोग से स्थायी समाधान निकाला जा सकता है।

भारत का स्पष्ट मानना है कि शांति और स्थिरता ही विकास का आधार हैं। यदि किसी क्षेत्र में लगातार संघर्ष बना रहता है तो वहां के लोगों का जीवन और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सभी पक्षों को संयम और समझदारी का परिचय देते हुए बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। तभी इस संकट का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा।

तो क्या इस युद्ध को अमेरिकी साम्राज्यवाद के पतन की पटकथा मान लेनी चाहिए?

गौतम चौधरी

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्य पूर्व की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और ऊर्जा भू-राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाई है। तेल संसाधनों की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और अपने प्रमुख सहयोगियों की रक्षा जैसे कारणों से अमेरिका लंबे समय तक इस क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली बाहरी खिलाड़ी बना रहा। लेकिन 21वीं सदी के तीसरे दशक में यह प्रश्न अधिक गंभीरता से उठने लगा है कि क्या मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभुत्व का युग समाप्त हो रहा है, या केवल उसका स्वरूप बदल रहा है।

ऊपर जो प्रश्न उठाए गए हैं, उसका उत्तर सामान्य तरीके से देना कठिन है। जितनी जटिलता मध्य पूरव में दिखती है उतना ही जटिल इसका उत्तर भी है। मसलन, मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव का निर्माण कई दशकों की रणनीतिक नीतियों का परिणाम है। अमेरिका ने क्षेत्र के कई देशों के साथ सुरक्षा समझौते किए और सैन्य ठिकाने स्थापित किए। विशेष रूप से इज़राइल के साथ उसकी घनिष्ठ रणनीतिक साझेदारी ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित किया। इसके अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग ने भी अमेरिका की स्थिति को मजबूत बनाया। लंबे समय तक तेल आपूर्ति की सुरक्षा और समुद्री मार्गो की रक्षा अमेरिकी नीति के प्रमुख उद्देश्य रहे।

हाल के वर्षो में वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। अन्य बड़ी शक्तियाँ भी मध्य पूर्व में सक्रिय हो गई हैं। विशेष रूप से चीन और रूस ने इस क्षेत्र में अपने आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत किया है। इसके साथ ही शीत युद्ध के समय सोवियत रूस के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में आया सैन्य संगठन नाटो के सदस्य देशों में भी अविश्वास पैदा हुआ है। यह अविश्वास अमेरिकी नेतृत्व के द्वारा एक पक्षीय निर्णय और दादागीरी से उत्पन्न हुआ है। हाल के वर्षो में अमेरिकी नेतृत्व ने उग्र राष्ट्रवाद का परिचय देते हुए कई ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण उसके पश्चिमी सहयोगियों में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ है। यहां तक कि अमेरिकी नेतृत्व अब सहयोगियों के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ भी निर्णय लेने लगा है।

इधार मध्य पूरव के देशों में अमेरिकी दादागीरी को लेकर गोलबंदी प्रारंभ हो गयी थी। मध्य पूरव के देश अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपनी-अपनी सीमा से बाहर करना चाहते हैं। यहां तक कि इजरायल को भी अब्राहिमिक गोलबंदी में अमेरिकी हस्तक्षेप एक रोड़ा ही लगता है। दूसरी ओर चीन ऊर्जा आयात और बुनियादी ढाँचे में निवेश के माध्यम से क्षेत्रीय देशों के साथ गहरे आर्थिक संबंध स्थापित कर रहा है। यही नहीं रूस ने सुरक्षा सहयोग और सामरिक साझेदारी के माध्यम से मध्य पूरव में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया है। इन परिवर्तनों ने मध्य पूर्व को धीरे-धीरे एक बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बना दिया है।

मध्य पूर्व के कई देश अब केवल एक महाशक्ति पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित और व्यावहारिक विदेश नीति अपनाने लगे हैं। वे अमेरिका के साथ पारंपरिक सुरक्षा सहयोग बनाए रखते हुए चीन और रूस के साथ भी आर्थिक और तकनीकी संबंध विकसित कर रहे हैं। साथ ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपने-अपने देश से हटाना चाहते हैं। यह रणनीति उन्हें वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा के बीच अधिक स्वतंत्रता और विकल्प प्रदान करती है। परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय देश अब पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी विदेश नीति तय कर रहे हैं।

वैसे एकदम से ऐसा कहना कि मध्य पूरव में अमेरिकी प्रभाव कम हो जाएगा फिलहाल जल्दबाजी होगी लेकिन उसके संकेत मिलने लगे हैं। मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए यह मानना अधिक उचित होगा कि यहाँ अमेरिकी प्रभाव समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि उसका पुनर्संतुलन हो रहा है। अमेरिका अभी भी क्षेत्र की प्रमुख सैन्य और कूटनीतिक शक्तियों में से एक है, लेकिन अब उसे अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा। ईरान युद्ध अमेरिकी प्रभाव को कम करेगा या बढ़ाएगा इसका अंदाजा फिलहाल लगाना कठिन है लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वह अमेरिकी कूटनीति के लिए जटिल जरूर है। अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान युद्ध में सबसे चौकाने वाला परिणाम यह है कि जहां एक ओर अमेरिका का घुर सहयोगी, युनाइटेड किंगडम, फांस और स्पेन ने अमेरिकी आक्रमण का विरोध किया है वहीं दूसरी ओर मध्य पूरव के वे तमाम देश, जिसपर ईरान ने मिसाइल दागे उन्होंने वापस ईरान पर हमला नहीं किया बल्कि कुबैत ने तो कुछ अमेरिकी विमान को मार गिराया है। इसे अमेरिकी कूटनीति की हार ही कही जानी चाहिए।

मध्य पूर्व की भू-राजनीति आज पहले से अधिक जटिल और बहुध्रुवीय हो चुकी है। अमेरिकी प्रभुत्व पूरी तरह समाप्त होता हुआ नहीं दिखता, लेकिन यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय देशों के पास अब पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अधिक संतुलित कूटनीति अपनाने लगे हैं। भविष्य में मध्य पूर्व की स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियाँ प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ सहयोग के रास्ते को कितना मजबूत कर पाती हैं। यदि संतुलित कूटनीति और संवाद को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह क्षेत्र संघर्ष के बजाय सहयोग का नया मॉडल भी बन सकता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना: किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के लिए जनऔषधि परियोजना का रणनीतिक विकास

जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात, बचत के साथ।

श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री

किसी राष्ट्र की प्रगति का असली पैमाना अक्सर इस बात से परिलक्षित होता है कि उसके नागरिक स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक कितनी आसानी से पहुंच सकते हैं। दशकों तक, भारत के लाखों लोगों के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए दवाओं की उच्च लागत एक प्रमुख वित्तीय बाधा रही है।

इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी), प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को उनके ब्रांडेड समकक्षों की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है। यह परियोजना सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करके एक व्यापक और व्यवस्थित परिवर्तन लाने में सफल रही है।

वैश्विक स्तर पर, जेनेरिक दवाइयां सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की मूलभूत आधारशिला हैं। विश्व भर में चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली कुल दवाइयों में इनकी हिस्सेदारी लगभग 80-90% है और इसने आवश्यक दवाओं तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि जेनेरिक दवाइयां पैकेज, लेबल और निष्क्रिय अवयव की दृष्टि से भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि ये अंतर उनके चिकित्सीय प्रभाव पर असर नहीं डालते हैं। खुराक, सुरक्षा, क्षमता, गुणवत्ता और लक्षित उपयोग के संदर्भ में जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की समकक्ष हैं तथा उत्पादन और गुणवत्ता के कठोर मानकों का समान रूप से पालन करती हैं।

पीएमबीजेपी केवल एक खुदरा-बिक्री कार्यक्रम नहीं है यह भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के संरचनात्मक सशक्तिकरण को दर्शाता है। यह इस साल के जनऔषधि सप्ताह के थीम में परिलक्षित होता है, जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात, बचत के साथ, यह थीम लाखों लाभार्थियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। 18,000 से अधिक जनऔषधि केंद्रों के तेजी से बढ़ते नेटवर्क के माध्यम से, योजना ने सुनिश्चित किया है कि दवाइयां बाजार दरों की तुलना में 50% से 80% तक की कम कीमतों पर उपलब्ध हों और सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों को समर्थन प्रदान करती हों। क्षेत्र सर्वेक्षणों से पता चला है कि लाभार्थी लागत बचत और दवाइयों तक बेहतर पहुंच की सराहना करते हैं।

योजना का पैमाना इसके उत्पाद संग्रह से भी परिलक्षित होता है। जनऔषधि 2,110 दवाओं और 315 सर्जिकल उत्पादों का विस्तृत संग्रह पेश करता है, जो 29 विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों को शामिल करती है।

भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) के प्रत्यक्ष देखरेख में, संग्रह का विस्तार एक गतिशील, डेटा-संचालित प्रक्रिया है, जिसमें बाजार विश्लेषण, हितधारकों की भागीदारी और एक समर्पित विशेषज्ञ समिति की कठोर निगरानी शामिल हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि योजना देश की बदलती स्वास्थ्य आवश्यकताओं और औषधीय मांगों के अनुरूप विकसित होती रहे।

कठोर नियामक निरीक्षण के साथ, भारतीय दवा कंपनियां 200 से अधिक देशों के लिए भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बन गई हैं, जिसमें अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ जैसे अत्यधिक विनियमित बाजार भी शामिल हैं। भारतीय दवा कंपनियां लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप जैसे उभरते बाजारों में भी विस्तार कर रही हैं।

यह उद्योग जैविक दवाओं के समान दवाओं (बायोसिमिलर), जैविक दवाओं के जेनेरिक प्रतिरूपों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, साथ ही जटिल जेनेरिक और विशेष दवाओं का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान और विकास में भी अधिक निवेश कर रहा है। ये दूरदर्शी कार्यक्रम भारत को न केवल एक वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में, बल्कि किफायती दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के नवाचार अग्रणी देश के रूप में भी स्थापित करते हैं।

गुणवत्ता बनाम मूल्य पर बहस कभी-कभी सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करती है। एक बहु-स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था के माध्यम से,पीएमबीजेपी ने इस मिथक को प्रभावी ढंग से तोड़ दिया है कि किफायती होना निर्माण मानकों में समझौते का संकेत देता है। दवाइयाँ डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणित निर्माताओं से खरीदी जाती हैं, जो वैश्विक उत्पादन मानकों का पालन सुनिश्चित करती हैं। नियम निर्धारित करते हैं कि फार्मेसी की शेल्फ तक पहुंचने से पहले दवा के हर बैच का राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा स्वीकृत प्रयोगशालाओं में सख्त सत्यापन होना आवश्यक है। ये दवाइयां औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के नियमों का पालन करती हैं और ब्रांडेड विकल्पों के सुरक्षा और प्रभावशीलता मानकों के अनुरूप हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खरीद से पहले सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है और खरीद के बाद प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी, पीएमबीआई नियमित रूप से दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी और समीक्षा करती है, ताकि स्थापित विनियमों के पालन में कोई कोताही न होना सुनिश्चित किया जा सके। एक आईटी-संचालित वितरण नेटवर्क, जिसे पांच अत्याधुनिक भंडार गृहों और देशभर के में 41 विशेष वितरकों का समर्थन प्राप्त है, ने सुनिश्चित किया है कि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के खिलाफ सुदृढ़ बनी रहे।

तीन स्तंभों-पहुंच, गुणवत्ता और सस्ती कीमत-पर ध्यान केंद्रित करके, पीएमबीजेपी ने लाखों लोगों के चिकित्सा खर्च को काफी हद तक कम कर दिया है। निरंतर संस्थागत समर्थन, लोगों की बढ़ती जागरूकता और अवसंरचनात्मक सुधारों के साथ, हर जिले में जनऔषधि केंद्र का सपना अब दूर की आकांक्षा नहीं, बल्कि यह ठोस रूप ले चुका है और वास्तविकता के करीब है। 'विकसित भारत @2047' दृष्टि के तहत मुख्य ध्यान इस बात पर है कि हर किसी के लिए एक सुदृढ़, न्यायसंगत और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाई जाए। इसमें बेहतर अस्पताल, कम चिकित्सा खर्च, उपचार तक आसान पहुंच और सस्ती दवाओं की उपलब्धता शामिल हैं। बहु-क्षेत्रीय सहयोगों के जरिये, पीएमबीजेपी ने यह साबित किया है कि सही संस्थागत दृष्टि के साथ, स्वास्थ्य सेवा उच्च गुणवत्ता युक्त और सार्वभौमिक रूप से सुलभ दोनों हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह परियोजना प्रगति करती रहे और किफायती स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मॉडल के रूप में अपनी स्थिति को निरंतर बनाए रखे।

हिमाचल सहित कई राज्यों के पूर्व सैनिकों के लिए 17 मार्च को चंडीगढ़ में जॉब फेयर

शिमला। हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के पूर्व सैनिकों को नागरिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट (डीजीआर), पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग (रक्षा मंत्रालय) 17 मार्च को चंडीगढ़ में विशेष जॉब फेयर आयोजित करेगा।

डीजीआर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान देशभर में कुल 18 जॉब फेयर आयोजित कर रहा है। इनमें से 16 जॉब फेयर दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता, सिकंदराबाद, जम्मू, भोपाल, कोच्चि, गुवाहाटी, देहरादून, बेंगलुरु और पुणे सहित विभिन्न शहरों में पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं।

यह जॉब फेयर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के पूर्व सैनिकों को सुरक्षा, आईटी, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी कॉर्पोरेट और उद्योगों से जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग के अनुसार यह पहल पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जॉब फेयर के माध्यम से पूर्व सैनिक अपनी योग्यता और अनुभव को संभावित नियोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।

नियोक्ता और पूर्व सैनिक www.esmhire.comपर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण का लिंक डीजीआर की वेबसाइट www.dgrindia.gov.in पर भी उपलब्ध है। यह पंजीकरण पूर्व सैनिकों और नियोक्ताओं दोनों के लिए निःशुल्क है।

सौर ऊर्जा से बदली करसोग के किसान की तकदीर

मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के कामाक्षा गांव के किसान छज्जू राम वर्मा ने तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती को लाभकारी बना दिया है। कभी सूखी और अनुपजाऊ पड़ी उनकी 25 बीघा जमीन आज हरी-भरी फसलों से लहलहा रही है और इससे उनके परिवार की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

कुछ वर्ष पहले तक छज्जू राम पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन पानी की कमी के कारण उत्पादन सीमित रहता था। खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर होने से आय भी कम होती थी। इसी दौरान राज्य सरकार की आर्थिक सहायता योजना के तहत उन्होंने 4 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया।

इस परियोजना की कुल लागत 2 लाख 70 हजार रुपये थी, जिसमें 90 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की गई, जबकि 10 प्रतिशत खर्च छज्जू राम ने स्वयं किया। सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली की मदद से उन्होंने खेतों में मोटर चलाकर सिंचाई की स्थायी व्यवस्था कर ली, जिससे खेती की तस्वीर पूरी तरह बदल गई।

पानी की उपलब्धता बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी जमीन पर मटर, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च जैसी नगदी फसलें उगानी शुरू कीं। इसके साथ ही उन्होंने प्लम का बगीचा भी लगाया, जिससे आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित हुए। बेहतर सिंचाई और आधुनिक तरीकों से उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

आज उनकी सालाना आय लगभग 3 से 4 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है, जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। इस बदलाव से उनके परिवार का जीवन स्तर सुधरा है और अब वे बच्चों की शिक्षा तथा भविष्य की योजनाओं पर भी बेहतर ढंग से ध्यान दे पा रहे हैं।

छज्जू राम वर्मा का कहना है कि यदि ऐसी सिंचाई और कृषि सहायता योजनाएं अधिक किसानों तक पहुंचें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। उनके अनुसार सौर ऊर्जा किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि इससे बिजली खर्च कम होता है और सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भरता भी घटती है।

छज्जू राम की यह उपलब्धि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणादायक है और यह दर्शाती है कि तकनीक, सरकारी सहयोग और मेहनत के बल पर खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है।

1.68 लाख से अधिक प्रशिक्षित, 36 हजार को मिला रोजगार: पर्यटन मंत्रालय की पहल

शिमला। देशभर में पर्यटन क्षेत्र में सेवा गुणवत्ता और पेशेवर मानकों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है। यह जानकारी लोकसभा में पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सांसदों के प्रश्न के उत्तर में दी।

मंत्री ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स (CBSP) योजना के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठयक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत लोगों को कौशल विकास, उन्नयन और पुनःकौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

मंत्री ने बताया कि ये प्रशिक्षण सरकारी संस्थानों और सूचीबद्ध निजी संस्थानों जैसे होटल प्रबंधन संस्थान,फूड क्राफ्ट संस्थान और भारतीय पाक कला संस्थान के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों में 'हुनर से रोजगार तक', उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कौशल परीक्षण एवं प्रमाणन तथा पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के तहत देशभर में, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, भाषा आधारित गाइडिंग और साहसिक गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी पाठयक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इस योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया, जिसमें पाया गया कि इस योजना के तहत अब तक 1.68 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और 36,000 से अधिक लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिला है। इससे देश के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता और पेशेवर मानकों में सुधार हुआ है।

पर्यटन क्षेत्र में उच्च मानकों के पेशेवर तैयार करने के लिए 21 केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों और आठ प्रमुख होटल समूहों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड,आईएचजी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, मैरियट इंटरनेशनल, ललित होटल्स, आईटीसी होटल्स, लेमन ट्री होटल्स, अपीजय सुरेंद्र पार्क होटल्स और रैडिसन होटल समूह जैसे प्रतिष्ठित होटल समूह शामिल हैं।

सरकार का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की सेवाएं सुनिश्चित करना और कुशल कार्यबल तैयार करना है, ताकि देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों -विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान किया जा सके।

पंचायत आरक्षण, हेलीकॉप्टर सेवा और भर्ती सहित कई प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्त्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक निर्णय लिए गए। बैठक में पंचायत चुनावों में आरक्षण से संबंधित नियमों में संशोधन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में बदलाव, जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े फैसले तथा विभिन्न विभागों में पद भरने सहित कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं किया जाएगा।

बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। इसके तहत 'निराश्रित' शब्द को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार वे महिलाएं, जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला माना जाएगा।

मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत 'चिल्ड्रन ऑफ

द स्टेट' को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देने का निर्णय लिया।

बैठक में एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न हुई 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को इस शर्त पर आवंटित करने का निर्णय लिया कि बीबीएमबी उपयोग में न लाई गई भूमि राज्य सरकार को वापस करेगा। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली तथा 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी।

बैठक में सिंगल विलेज स्कीम तथा मल्टी विलेज स्कीम के अंतर्गत गांवों में स्थापित अधोसंरचना के संचालन एवं रख-रखाव को नीति के तहत ग्राम पंचायतों को सौंपने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। साथ ही ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

बैठक में चंडीगढ़ शिमला चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को सप्ताह में तीन उड़ानों से बढ़ाकर 12 उड़ानें करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अब छह दिनों तक प्रतिदिन दो उड़ानें संचालित होंगी और इसके संचालन को सुचारु बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग भी प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल शक्ति विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के संसाधनों से जारी करने का निर्णय लिया, क्योंकि भारत सरकार द्वारा अभी तक इस मिशन के तहत धनराशि जारी नहीं की गई है।

बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी महाविद्यालयों में 60 कनिष्ठ सहायक प्रवक्ता के पद भरने को स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी समिति के दो पद तथा निरीक्षक सहकारी समिति के 30 पद भरने की भी मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में कोच के 16 पद भरने तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट(आईटी) के तीन पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

इसके अलावा हमीरपुर जिले के खरीड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता बढ़ाकर 100 बिस्तर करने तथा इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में ऊना जिले के गगरेट में उप-मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने तथा इसके लिए आवश्यक पद सृजित करने और भरने की स्वीकृति दी गई। साथ ही पुलिस जिला नूरपुर में पुलिस पोस्ट कोटला को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के टाहलीवाल स्थित फायर पोस्ट को उप अग्निशमन केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में वर्ष 2016 में चयनित पटवारी पद के शेष सात अभ्यर्थियों को लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने हिमुडा के पक्ष में 80 वर्ष की लीज प्रदान करने की स्वीकृति दी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश लीज नियम, 2013 के नियम 7 में संशोधन किया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार 40 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भूमि लीज पर नहीं दे सकती थी।

बैठक में सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जल वाहकों, जिन्होंने सात वर्ष अंशकालिक जल वाहक तथा चार वर्ष दैनिक वेतनभोगी के रूप में 31 मार्च 2025 तक 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया।

एक माह में भूमि पट्टा मामलों के निपटारे के निर्देश: जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला जिला के कुमारसैन और

कोटगढ़ क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर भूमि से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि पट्टों से संबंधित सभी लंबित मामलों का एक माह के भीतर निपटारा कर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

राजस्व मंत्री ने कहा कि भूमि प्रदान करने की विभिन्न योजनाओं के तहत कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र में लोगों को भूमि पट्टे जारी हुए लगभग 50 वर्ष बीत चुके हैं। कई मामलों में भूमि पट्टे जारी हुए, लेकिन आज तक उनका इंतकाल नहीं हो पाया है। वहीं कुछ मामलों में भूमि पट्टे मंजूर होने और नजराना जमा होने के बावजूद भी लोगों को पट्टे प्रदान नहीं किए गए।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों द्वारा यह मुद्दा उनके ध्यान में लाया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुमारसैन और कोटगढ़ के सभी लंबित मामलों की जांच कर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

जगत सिंह नेगी ने आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि लंबे समय से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान हो सके।

बैठक के उपरांत कोटगढ़ और कुमारसैन क्षेत्र के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व मंत्री से भेंट कर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

बैठक में अतिरिक्त सचिव (राजस्व) अनिल चौहान सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 17 करोड़ रुपये प्रदान: मुख्यमंत्री

मेजर सोमनाथ अकादमी के सुदृढ़ीकरण के लिए 10.26 करोड़ का प्रावधान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, वीरता पदक विजेताओं और शहीदों के आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक और उनके परिवार प्रदेश का गौरव हैं और देश की रक्षा में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2,263 लाभार्थियों को 17 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसमें 968 वृद्धावस्था पेंशनरों को 6.12 करोड़ रुपये, 1,084 वीरता पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपये तथा 57 शहीदों के आश्रितों को 7.62 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। इसके अलावा 154 युद्ध जागीर लाभार्थियों को 20.83 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में भर्ती रैलियों के आयोजन के लिए 2.28 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मंडी जिला के बरछवाड़ स्थित मेजर सोमनाथ प्रशिक्षण अकादमी के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए वर्ष 2025-26 में 10.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए बेहतर प्रशिक्षण मिल सके।

हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हिमाचल: राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य की दिशा में सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (17वां संशोधन) नियम, 2026 के तहत सभी कमर्शियल, पब्लिक और सेमी-पब्लिक भवनों तथा रियल एस्टेट परियोजनाओं में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा विकसित होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिमाचल प्रदेश एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (एचपीईसीबीसी) नियम, 2018 को भी अनिवार्य किया गया है। इसके तहत 750 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, शैक्षणिक, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाले भवनों को ऊर्जा संरक्षण मानकों के अनुरूप बनाने पर 0.25 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) की अनुमति दी जाएगी।

राजेश धर्माणी ने बताया कि एचपीईसीबीसी नियमों के तहत भवन निर्माण प्रक्रिया में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा अधिकृत एनर्जी ऑडिटर को शामिल करना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में ऑडिटर निरीक्षण करेगा और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद संबंधित प्राधिकरण द्वारा ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (18वां संशोधन) नियम, 2026 के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं में प्रीमियम एफएआर के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार 0.25 तक के प्रीमियम एफएआर पर 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 0.25 से 0.50 तक पर 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा 0.50 से 0.75 तक पर 7000 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क लिया जाएगा।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह नियम पहले से पूरी हो चुकी परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे, जबकि निर्माणाधीन परियोजनाओं में यह प्रावधान नई निर्माणाधीन ब्लॉकों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि नई रियल एस्टेट परियोजनाओं के डेवलपर्स को प्रारंभिक योजना के साथ अतिरिक्त एफएआर खरीदने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

मनरेगा के अंतर्गत 50 दिन कार्य करने वाले परिवार बी.पी.एल. सूची में होंगे शामिल

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा बी.पी.एल. परिवारों के निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के क्रम को जारी रखते हुए, 04 फरवरी, 2026 के बी.पी.एल. दिशानिर्देशों में वर्णित पैरा 1 (क) (4) को पुन: संशोधित किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित प्रावधान के अनुसार अब ऐसे परिवार भी बी.पी.एल. सूची में शामिल किए जा सकेंगे, जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 50 दिन कार्य किया गया हो। उन्होंने बताया कि उक्त श्रेणियों के अंतर्गत प्रथम चरण से चतुर्थ चरण के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पात्र परिवारों से नए आवेदन भी 12 मार्च, 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जारी की गई गई अधिसूचना के अनुसार 15 मार्च, 2026 तक खंड स्तरीय समिति द्वारा ऐसे पात्र परिवारों को पंचायत-वार अधिसूचित करते हुए बी.पी.एल. परिवारों की पांचवें चरण की सूची के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण से चतुर्थ चरण के सर्वेक्षण के अंतर्गत की गई समस्त कार्यवाही, तैयार की गई सूचियां तथा लिए गए निर्णय यथावत रहेंगे और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि पांचवें चरण के सर्वेक्षण के लिए उपर्युक्त संशोधित समावेशन बहिष्करण मानदंडों के अतिरिक्त सत्यापन, अनुमोदन, अपील, अभिलेख संधारण तथा समय-सीमा से संबंधित समस्त प्रक्रियाएं विभाग के पत्र दिनांक 19 मार्च, 2025 तथा 15 दिसम्बर, 2025 को जारी अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही लागू रहेगी।

क्लास थ्री पदों में महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सिरमौर जिले के नाहन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी विभागों में क्लास थ्री पदों की भर्ती में महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाएगी। इसके साथ ही पुलिस विभाग में महिला सब-इंस्पेक्टर के लिए विशेष भर्ती करने की भी घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री ने डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन के लिए 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नाहन में अगले शैक्षणिक सत्र से एमएससी जियोलॉजी, एमबीए और एमए हिस्ट्री की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता महिलाओं का कल्याण और सशक्तिकरण है तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है, जिसके तहत विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च सरकार वहन कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं को

30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है और प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने के प्रस्ताव पर अगले वर्ष से विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव कर मुआवजा राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की और प्रभावित परिवारों के घरों के पुनर्निर्माण के लिए सात लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरडीजी के रूप में मिलने वाली लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता बंद करने का आरोप भी लगाया और कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पर्वतीय राज्य के आय के साधन सीमित हैं, इसलिए केंद्र को प्रदेश के हितों का ध्यान रखना चाहिए।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि आज बेटियां शिक्षा सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है।

वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि किसी भी समाज के उत्थान में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और आज बेटियां शिक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।

कार्यक्रम में विधायक एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार ने भी महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर जोर दिया। विधायक अजय सोलंकी ने मुख्यमंत्री का नाहन आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, पूर्व विधायक किरनेश जंग और अजय बहादुर, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी, बाल कल्याण परिषद की महासचिव जैनब चंदेल, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कत्याल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद परमार, सिरमौर के उपायुक्त प्रियंका वर्मा और पुलिस अधीक्षक निश्चिंत नेगी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

नाहन को 17 विकास परियोजनाओं की सौगात

शिमला/शैल। सिरमौर जिले के नाहन के दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने लगभग 190 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 17 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 152 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के शिलान्यास और शेष पूर्ण परियोजनाओं

के लोकार्पण शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने नाहन शहर में 53.40 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट ग्रिड तकनीक के कार्यान्वयन तथा पांवटा साहिब शहर में 43.66 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट ग्रिड तकनीक लागू करने की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा 16.04 करोड़ रुपये की लागत से भेरों से आदि बद्री सड़क, 12.36 करोड़ रुपये की लागत से कांशिवाला से बिरोजा फैक्ट्री वाया जब्बल का बाग सड़क, 8.42 करोड़ रुपये की लागत से नाहन में मुख्य चिकित्सा कार्यालय भवन, 8.17 करोड़ रुपये की लागत से बर्मा पापरी पालियो माजरी सड़क के सुधार एवं उन्नयन और 6.98 करोड़ रुपये की लागत से सैनवाला झमेरिया ब्रोगरियाजामनवाला चरूवालॉकोटला लिंक रोड का भी शिलान्यास किया।

इसके अतिरिक्त 3.13 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 07 से भद्रकाली मंदिर होते हुए फॉरेस्ट चेक पोस्ट कोलर बिलासपुर तक संपर्क मार्ग के निर्माण का भी शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री ने 3.03 करोड़ रुपये की लागत से नाहन में निर्मित टेबल टेनिसकम स्क्वैश कोर्ट कॉम्प्लेक्स, 3.17 करोड़ रुपये की लागत से धौला कुआं स्थित राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रावास तथा 4.91 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अकादमिक खंड की दूसरी मंजिल का लोकार्पण किया।

उन्होंने धौला कुआं स्थित राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में 7.81 करोड़ रुपये की लागत से बने आवासीय खंड, 2.41 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ऑटोमोबाइल खंड और 3.30 करोड़ रुपये की लागत से बने छात्रावास का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा 2.57 करोड़ रुपये की लागत से जुब्बा-का-जोहार से गांव गब्बा तक संपर्क सड़क, 3.80 करोड़ रुपये की लागत से कालाअंब में फायर पोस्ट भवन तथा नाहन में 5.65 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन भी किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वनाधिकार अधिनियम के तहत 28 परिवारों को मालिकाना हक के पट्टे भी प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को किया सम्मानित

शिमला/शैल। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य

करने वाली महिलाओं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा को जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया। इसके अलावा सिरमौर जिले की संगड़ाह तहसील के गांव गत्ताधार की कृतिका शर्मा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया, तथा राजगढ़ क्षेत्र के पझोता गांव की मेघा सिंह कंवर को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा2025 में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सोलन जिले की शांति जैसवाल, बिलासपुर की निर्मला धीमान, कांगड़ा जिले के इंदौरा की 'गृहिणी स्वयं स्वरोजगार संघ' तथा ऊना की निशू लता को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करते हुए एक-एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत शिखा, सिमरन कौर, शिया और प्रेम लता को विवाह अनुदान के रूप में 60-60 हजार रुपये प्रदान किए गए। वहीं महबूब हसन और रवि को मकान निर्माण के लिए योजना की दूसरी किस्त के रूप में एक-एक लाख रुपये दिए गए।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत संतोष देवी, शीला देवी और नीमो देवी को 31-31 हजार रुपये, विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत नसिफा, नितेश और विधा देवी को दो-दो लाख रुपये तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बबीता, सुनीता देवी और अनीता देवी को 51-51 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न जिलों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी सम्मानित किया। इनमें बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों की चयनित कार्यकर्ता शामिल रहीं। उन्हें पांच-पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

जाइका परियोजना से सशक्त हो रहीं महिलाएं

शिमला/शैल। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरा के बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में देहरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कमलेश ठाकुर ने जाइका वानिकी परियोजना से जुड़ी महिलाओं की

सराहना की। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश की महिलाएं सशक्त बन रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं।

इस दौरान विधायक ने परियोजना से जुड़ी दूरदराज क्षेत्रों की महिलाओं से ऑनलाइन और उपस्थित महिलाओं से सीधे संवाद किया। वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक डॉ. संजय सूद ने कहा कि इस परियोजना से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका मजबूत हो रही है। कार्यक्रम में डॉ. मीनाक्षी सूद ने भी महिलाओं को संबोधित किया।

कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। विधायक कमलेश ठाकुर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया, और 18 वन मंडलों के समूहों को ऑनलाइन सम्मान दिया गया।

नाहन में मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से किया संवाद

शिमला/शैल। सिरमौर जिले के नाहन स्थित मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने डॉक्टरों के साथ संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चिकित्सकों के सुझाव सुनने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वह अन्य मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों के साथ संवाद कर चुके हैं और उनके सुझावों को नीति में शामिल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कई मेडिकल कॉलेज केवल रेफरल संस्थान बनकर रह गए हैं, लेकिन सरकार उनमें सुधार कर प्रदेश के भीतर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में हाई-एंड मेडिकल तकनीक लाई जा रही है, जिस पर आने वाले समय में लगभग 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 40 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया है, जबकि सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का स्टाइपेंड एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और छात्रों के लिए 60-60 के सेक्शन बनाए जाएंगे। उसी अनुपात में स्टाफ की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

कांग्रेस की झूठ और गुमराह करने की राजनीति बेनकाब:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार इस समय भारी अस्थिरता और भय के माहौल में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद सरकार के भीतर असमंजस और अविश्वास की स्थिति बनी हुई है, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के अन्दर ही विश्वास का संकट गहरा चुका है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सैद्धांतिक निर्णय लेते हुए राज्यसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, जिससे कांग्रेस को स्वाभाविक अवसर मिला। इसके बावजूद कांग्रेस के भीतर जिस प्रकार की खींचतान और भ्रम की स्थिति देखने को मिली, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई वरिष्ठ नेता राज्यसभा टिकट के लिए दिल्ली जाकर अपना पक्ष रख रहे थे और उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से लगातार भरोसा दिलाया जा रहा था कि उनके नाम पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अंतत: उन्हें गुमराह किया गया।

उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने तो नामांकन से जुड़ी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली थीं, क्योंकि उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। लेकिन अंतिम समय में स्थिति बदलने से कांग्रेस के भीतर भारी असंतोष पैदा हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा द्वारा सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा व्यक्त करना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के भीतर संवाद और सम्मान की भावना समाप्त हो चुकी है।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार मंत्रिमंडल से नहीं बल्कि 'मित्र मंडल' से चलाई जा रही है। उनके अनुसार निर्णय कैबिनेट में नहीं बल्कि एक सीमित समूह के बीच लिए जा रहे हैं, जहां यह तय होता है कि किसे लाभ देना है और किसे किनारे करना है।

उन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने साधारण कार्यकर्ता बताकर टिकट दिया, उसके शपथपत्र में लगभग 230 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति सामने आई है और वर्तमान सरकार में उनके पास कई करोड़ रुपये के ठेके भी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर भी यह सवाल उठ रहे हैं कि यदि यही साधारण कार्यकर्ता की परिभाषा है तो वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे अन्य कार्यकर्ताओं को ऐसा अवसर क्यों नहीं मिला।

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के दौरों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई बार आधिकारिक टूर कार्यक्रम जारी होने के बाद मुख्यमंत्री किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं और इसकी जानकारी न प्रशासन को होती है और न ही जनता को। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी कार्यप्रणाली कई सवाल खड़े करती है।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के पांच वर्षों में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए। उनके अनुसार उस दौरान लगभग 7000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं प्रदेश को मिलीं और करीब 4700 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हिमकेयर, सहारा और मुख्यमंत्री स्वावलंबन जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों को राहत दी और जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल से जल पहुंचाने का काम किया।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े हैं और कई परियोजनाएं रुकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल पूर्व में शुरू की गई योजनाओं के उद्घाटन कर रही है।

जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में अवैध पेड़ कटान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जहां 25 पेड़ काटने की अनुमति थी, वहां 300 से अधिक पेड़ काट दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है और जांच को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है।

उन्होंने मंडी जिले में वन कटान के एक अन्य मामले और एक परियोजना में लगभग 120 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इन मामलों पर मौन है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले तीन वर्षों से केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास भाजपा के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ ठोस सबूत हैं तो कारवाई करे, लेकिन केवल बयानबाजी करना राजनीतिक हताशा को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में जनता ही इस सरकार को जवाब देगी।

राज्यसभा सदस्य अनुराग शर्मा पर नामांकन में संपत्ति छिपाने का आरोप

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य अनुराग शर्मा के खिलाफ नामांकन प्रक्रिया के दौरान संपत्ति का पूरा विवरण न देने और चुनावी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग, राज्यसभा सचिवालय और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई गई है। यह शिकायत धर्मशाला की अधिवक्ता निताशा कटोच द्वारा दायर की गई है।

शिकायत में कहा गया है कि अनुराग शर्मा, निवासी गांव बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, को 7 मार्च 2026 को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। लेकिन उनके नामांकन के साथ दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्तियों का पूरा और सही विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के तहत अनिवार्य है।

शिकायत के अनुसार किसी भी प्रत्याशी को नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी तथा अपने परिवार की चल और अचल संपत्तियों का पूरा विवरण देना आवश्यक होता है। यदि कोई जानकारी जानबूझकर छिपाई जाती है तो यह कानून का उल्लंघन माना जाता है।

दायर शिकायत में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनुराग शर्मा द्वारा कई भूमि संपत्तियों का विवरण हलफनामे में शामिल नहीं किया गया। इनमें जिला कांगड़ा के बैजनाथ और मुल्थान क्षेत्रों के साथ-साथ जिला मंडी के जोगिंदरनगर क्षेत्र में स्थित कई भूमि खातों का विवरण बताया गया है। शिकायत में इन संपत्तियों के खाता नंबर और संबंधित गांवों का भी उल्लेख किया गया है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि भूमि संपत्ति के अलावा एक लाइसेंसी हथियार से संबंधित जानकारी भी नामांकन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों में सही प्रकार से प्रदर्शित नहीं की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार इस प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है।

इसके अतिरिक्त शिकायत में अधिनियम की धारा 9A का हवाला देते हुए कहा गया है कि अनुराग शर्मा नामांकन दाखिल करते समय सरकारी ठेकेदार के रूप में कार्य कर रहे थे और उनके नाम पर लोक निर्माण विभाग के लगभग 16 करोड़ रुपये के ठेके चल रहे थे, जिनके कार्य अभी प्रगति पर बताए गए हैं। धारा 9A के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास सरकार के साथ सक्रिय अनुबंध हो तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि इस मामले में विधानसभा सचिव द्वारा आनन-फानन में प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि किसी उम्मीदवार के पास सरकारी अनुबंध लंबित हों तो उसके संबंध में स्पष्ट स्थिति होने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए था।

अधिवक्ता निताशा कटोच ने अपनी शिकायत में कहा है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह मामला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125A के तहत भी कारवाई योग्य बनता है, क्योंकि चुनावी हलफनामे में गलत या अपूर्ण जानकारी देना दंडनीय अपराध है। उन्होंने निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कारवाई करने का आग्रह किया है, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रह सके।